	V-190/CR.J.(e)
GRPI-211-6L-11-94 SUMMERRY TRIAL UNDER SECTION 263 OR 264 OF	
in the court of 490 2141	Class
Case Noवायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी	Complaint or report made on
गोहद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)	
Name and address of the Complainant	O marie of the state of th
2150001	
Name, parentage, caste and	address of accused
(1) CAROSE SO ANEGRADA	र रिजारी प्रकार देशकरी
(1) dies so so reactivities	The state of the s
13 mg/ mg - 4 - 4 - 1	
एक रका / फिका सकाव करेंग	2 ें आसीपी / गण ने चवत आसीप स्वेच्छाप
क आयार पर आरोपी गण को	the west A
	3. Saikini\ da loh / lhikimi 3
PIRENI II SIVER TO	LETERATE US
PUP (Brights so now the see that	0.7
The offence complaint of its alleged commission.	न कार्या जाता है। असे सक्त अवश्राध कार
HED JO THE DOLLARY TO THE YEAR	1.57575
आपने दिनांक 22'10'17 को समय 10'	्रें बर्ज स्थान
पर बिना	किसी वैध अनुज्ञां पत्र के 12 क्टार्टर
3201 2123 0	की अपने आधिपत्य में रखा
जो मापं आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर्ग	त दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अत्रग	त दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अंतर्ग सज्ञान में हैं॥	त दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अत्रग	त दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अत्रग	त दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अत्रग	त दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अत्रग	त दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अत्रग	त दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अत्रग	त दण्डनीय अपराध होकर इस न्यायालय के
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अत्रग	त दण्डनाय अपराध हाकर इस न्यायालय क
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अत्रग	त दण्डनीय अपराध हाकर इस न्यायालय क चंका चंका चामा
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अत्रग	त दण्डनाय अपराध हाकर इस न्यायालय क
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अतम सज्ञान में हैं॥	त दण्डनीय अपराध हाकर इस न्यायालय क जंका श्री शासी न्यायिक लिका है प्रथम श्रेणी गोहतः जिला-निण्ड (म.प्र.)
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अत्रग	त दण्डनीय अपराध हाकर इस न्यायालय क जंका श्री शासी न्यायिक लिका है प्रथम श्रेणी गोहतः जिला-निण्ड (म.प्र.)
लो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अतर्ग सज्ञान में हैं।' The plea of the accused and his examination (if	त दण्डनीय अपराध हाकर इस न्यायालय क जंका श्री शासी न्यायिक लिका है प्रथम श्रेणी गोहतः जिला-निण्ड (म.प्र.)
जो म0प्रं0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अतम सज्ञान में हैं॥	त दण्डनीय अपराध हाकर इस न्यायालय क जंका श्री शासी न्यायिक लिका है प्रथम श्रेणी गोहतः जिला-निण्ड (म.प्र.)
लो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अतर्ग सज्ञान में हैं।' The plea of the accused and his examination (if	त दण्डनीय अपराध हाकर इस न्यायालय क जंका श्री शासी न्यायिक लिका है प्रथम श्रेणी गोहतः जिला-निण्ड (म.प्र.)
लो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अतर्ग सज्ञान में हैं।' The plea of the accused and his examination (if	त दण्डनीय अपराध हाकर इस न्यायालय क जंका श्री शासी न्यायिक लिका है प्रथम श्रेणी गोहतः जिला-निण्ड (म.प्र.)
लो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अतर्ग सज्ञान में हैं।' The plea of the accused and his examination (if	त दण्डनीय अपराध हाकर इस न्यायालय क जंका श्री शासी न्यायिक लिका है प्रथम श्रेणी गोहतः जिला-निण्ड (म.प्र.)
लो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अतर्ग सज्ञान में हैं।' The plea of the accused and his examination (if	त दण्डनीय अपराध हाकर इस न्यायालय क जंका श्री शासी न्यायिक लिका है प्रथम श्रेणी गोहतः जिला-निण्ड (म.प्र.)
लो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अतर्ग सज्ञान में हैं।' The plea of the accused and his examination (if	त दण्डनीय अपराध हाकर इस न्यायालय क जंका श्री शासी न्यायिक लिका है प्रथम श्रेणी गोहतः जिला-निण्ड (म.प्र.)
लो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अतर्ग सज्ञान में हैं।' The plea of the accused and his examination (if	वंकि श्रम्म अपी व्यक्ति विकास अपी विकास विकास विकास विकास अपी विकास वित
लो म0प्र0 आबकारी अधिनियम की घारा 34 के अतर्ग सज्ञान में हैं।' The plea of the accused and his examination (if	त दण्डनीय अपराध हाकर इस न्यायालय क जंका श्री शासी न्यायिक लिका है प्रथम श्रेणी गोहतः जिला-निण्ड (म.प्र.)

The Offence proved, if any and in case cluse(d), clause(f) clause(g) or subsection(.) of section 260 the value of the property in respect of which the offence has been committed.

## (नि र्ण य)

## (आज दिनांक कि भी भी को घोषित)

Name Darentage, daste and address of accusate
1. आरोपी/गण के विरुद्ध धारा 🗦 १ हैश छ हराये
अपराध के आरोप हैं।
2. आरोपी / गण ने उक्त आरोप स्वेच्छापूर्वक स्वीकार किया / किए हैं।
3. आरोपी/गंण की स्वेच्छा अभिस्वीकृति के आधार पर आरोपी/गंण को धारा उप काळाजाजी सिद्धदोष
उहराया जाता है। अतः उक्त अपराध के लिए न्यायालय उंउने तक की सजा एवं आरोपी/गण
को 1500 अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा ना करने की दशा
में दिवस का साधारण कारावास पृथक से भूगतना होगा।
4. प्रकरण में जबाशुदा 19 कार्टी उन्हें राज्य करिए की उन्हें
4. हिंह अपरेश ने जवासुरा
निर्णय खुले न्यायालय में हस्ता० व
दिनांकित कर होषित किया गया।
08/11/7
न्यायिक मिजस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गहिन जिला भिण्ड प्रथम श्रेणी
गोर्डद, जिला-भिण्ड (म.प्र.)